



2026:RJ-JP:19211

[2026:RJ-JP:19211]



**HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR**

S.B. Criminal Misc. Suspension Of Sentence Application No.
1527/2025

In

S. B. Criminal Appeal No. 1696/2025

1. Hashim @ Abdul Hasif Son Of Siraj Khan, Resident Of Bahted, Police Station Malarna Doongar, District Sawai Madhopur (Raj). (At Present Accused Appellant Confined In Bharatpur Jail).
2. Aajam Khan Son Of Siraj Khan, Resident Of Bahted, Police Station Malarna Doongar, District Sawai Madhopur (Raj). (At Present Accused Appellant Confined In Bharatpur Jail).
3. Mukarram @ Chhajju Son Of Siraj, Resident Of Bahted, Police Station Malarna Doongar, District Sawai Madhopur (Raj). (At Present Accused Appellant Confined In Bharatpur Jail).

-----Petitioners

Versus

State Of Rajasthan, Through P.P.

-----Respondent

For Petitioner(s)	:	Mr. Deepak Chauhan, Adv. with Mr. Harsh Joshi, Adv.
For Respondent(s)	:	Mr. Shree Ram Dhakar, PP Ms. Chanchal, Adv. & Mr. Aamir Khan, Adv. for Mr. Rajneesh Gupta, Adv.

HON'BLE MR. JUSTICE UMA SHANKER VYAS

Order

06/05/2026

1. प्रार्थी-अभियुक्तगण की ओर से धारा 430 बी.एन.एस.एस. के अंतर्गत प्रस्तुत सजा स्थगन/जमानत आवेदन पर दोनों पक्षों को सुना गया। अधीनस्थ



विचारण न्यायालय के आलोच्य निर्णय एवं पत्रावली पर उपलब्ध कानूनी व तथ्यात्मक स्थिति पर विचार किया गया।

2. विद्वान विचारण न्यायालय **अपर सेशन न्यायाधीश, सवाईमाधोपुर** द्वारा सेशन प्रकरण संख्या **28/2021** में पारित निर्णय **21.06.2025** के माध्यम से प्रार्थी-अभियुक्त 1. हासिम उर्फ अब्दुल हासिफ, 2. आजम खान तथा 3. मुकर्रम उर्फ छज्जू को धारा **148, 341, 323/149, 504/149, 308/149, 304 खण्ड(II)/149 भा.दं.सं.** के अपराध में अधिकतम **06** वर्ष के **कठोर** कारावास से दंडित किया है।

3. विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी-अपीलार्थीगण का निवेदन है कि वास्तव में परिवादी पक्ष द्वारा अभियुक्तगण के घर पर आकर उनके साथ आक्रामक होकर मारपीट की गई थी, जिसमें अभियुक्त हासिम, आजम व अन्य के चोटें आई थी और उसके आधार पर परिवादी पक्ष को भी धारा 325 भा.दं.सं. के अपराध में 4 वर्ष के कठोर कारावास से दण्डित किया गया है, सह-अभियुक्त सिराज, नूरबानो व रेशमा का दण्डादेश समकक्ष पीठ द्वारा स्थगित किया जा चुका है। उनका यह भी निवेदन है कि अभियुक्तगण करीब सवा दो वर्ष से कारावास की सजा भुगत रहे हैं, अपील के निस्तारण में समय लगेगा, दोषसिद्धि हेतु कोई विश्वसनीय साक्ष्य पत्रावली पर नहीं है, अपील में अभियुक्तगण के सफल होने की पूर्ण संभावना है, अतः यह सजा स्थगन आवेदन स्वीकार करते हुए सजा स्थगित किये जाने का निवेदन किया।

4. इसके विपरीत विद्वान लोक अभियोजक तथा विद्वान अधिवक्ता परिवादी ने अपराध की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए सजा स्थगन आवेदन खारिज किये जाने का निवेदन किया। विद्वान अधिवक्ता परिवादी का यह भी निवेदन है कि वास्तव में अभियुक्तगण के विरुद्ध धारा 302 भा.दं.सं. का मामला बनता था लेकिन विचारण न्यायालय द्वारा अनावश्यक उदारता बरतते हुए धारा 304 खण्ड (II) भा.दं.सं. के अपराध में अभियुक्तगण को दोषसिद्ध किया है और इसी कारण से व्यथित होकर परिवादी पक्ष द्वारा भी धारा 302 भा.दं.सं. के अपराध में दण्डित करने हेतु अपील प्रस्तुत की गई है, जो लंबित है।



5. सुना गया एवं समस्त तथ्यों व तर्कों पर विचार किया गया।
6. वर्तमान मामले में अभियुक्तगण पर यह आरोप है कि अन्य सह—अभियुक्त सिराज, नूरबानो, रेशमा तथा अकरम के साथ मौके पर उपस्थित होकर परिवादी पक्ष के साथ मारपीट की, जिससे एक से अधिक व्यक्तियों के चोटें आई, उस दौरान सभी अभियुक्तगण द्वारा यह कहा गया कि स्कॉर्पियो चलाकर परिवादी पक्ष को कुचल दो और इसके आधार पर हासिम, आजम व मुकर्रम स्कॉर्पियो में सवार हुए तथा अकरम ने इस वाहन को चलाकर मृतका सबीला को जानबूझकर उसके ऊपर वाहन चढ़ाकर कुचल दिया तथा उसके बावजूद बचने पर उपरोक्त चारों व्यक्तियों ने नीचे उतरकर लाठी, डंडों आदि से सबीला को पीट—पीटकर उसकी हत्या कारित कर दी।
7. विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा परिवादी, आहतगण तथा प्रत्यक्षदर्शी गवाहान के बयान व चिकित्सकीय साक्ष्य के आधार पर अभियुक्तगण को उपरोक्तानुसार दोषी मानते हुए दण्डित किया गया है। विद्वान अधिवक्ता परिवादी पक्ष का यह तर्क रहा है कि हत्या करने का सामान्य आशय मौके पर तत्काल निर्मित हो सकता है और इस आधार पर यह मामला धारा 302 भा.दं.सं. का बनता है और अपील भी परिवादी पक्ष की ओर से प्रस्तुत की गई है।
8. स्पष्ट है कि वर्तमान अभियुक्तगण का मामला अन्य अभियुक्तगण से भिन्न है, जिन अभियुक्तगण का दण्डादेश समकक्ष पीठ द्वारा स्थगित किया गया है, उनमें सिराज की आयु 72 वर्ष थी तथा नूरबानो व रेशमा महिला थी। इसके अलावा यह भी स्पष्ट है कि उनसे अभियुक्तगण का मामला भिन्न है।
9. विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा अभियुक्तगण को जघन्य व गंभीर अपराध के आरोप में दोषसिद्ध व दण्डित किया गया है, अभियुक्त हासिम उर्फ अब्दुल हासिफ, आजम खान तथा मुकर्रम उर्फ छज्जू के विरुद्ध पूर्व में क्रमशः 8, 12 व 4 आपराधिक प्रकरण संस्थित हो रखे हैं, जिसमें से कुछ प्रकरण गंभीर अपराध से संबंधित हैं। अभियुक्तगण का भारी—भरकम आपराधिक रिकॉर्ड नजरअंदाज किये जाने योग्य नहीं है। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि मुख्य अभियुक्त अकरम जो कि वर्तमान अभियुक्तगण के परिवार का ही सदस्य



है, वह फरार है तथा उसके विरुद्ध भी 7 आपराधिक प्रकरण संस्थित हो रखे हैं। वर्तमान तीनों अभियुक्तगण को विचारण न्यायालय द्वारा अधिकतम 6 वर्ष के कठोर कारावास से दण्डित किया गया है, जिसके मुकाबले उनके द्वारा अभी तक करीब सवा दो वर्ष की सजा ही भुगती गई है।

10. अतः प्रकरण के तथ्यों, परिस्थितियों, उपलब्ध साक्ष्य, उसकी विश्वसनीयता, अपराध की गंभीरता आदि को दृष्टिगत रखते हुए, प्रकरण के गुण-दोषों पर टिप्पणी किये बिना यह सजा स्थगन आवेदन/जमानत आवेदन स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

11. परिणामतः **प्रार्थी-अभियुक्त 1. हासिम उर्फ अब्दुल हासिफ, 2. आजम खान तथा 3. मुकर्रम उर्फ छज्जू** की ओर से प्रस्तुत यह सजा स्थगन/जमानत आवेदन अस्वीकार कर खारिज किया जाता है।

(UMA SHANKER VYAS),J